भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2264
10 दिसम्बर, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
जनसंख्या वृद्धि

2264. डॉ. रमापति राम त्रिपाठीः
श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री अरुण कुमार सागरः
श्री अशोक कुमार रावतः
श्री सदाशिव किसान लोखंडेः
श्री देवजी एम. पटेलः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान स्थिति और इसकी दर कितनी है;
(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार भारत के 2027 तक दुनिया भर में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने की संभावना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार का विचार जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए नए परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने का है एवं यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(घ) जनसंख्या नियंत्रण पर एम. एस. स्वामीनाधन समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं और उस पर सरकार द्वारा की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ङ) सरकार द्वारा देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं; और
(च) क्या कुछ राज्यों ने जनसंख्या के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे की वृद्धि दर हासिल की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क): भारत के महा पंजीयक (आरजीआई) के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना में देश की दशकीय विकास दर 17.64 प्रतिशत थी।

(ख): भारत के महा पंजीयक (आरजीआई) की अध्यक्षता में जनसंख्या अनुमान तकनीकी समूह (टीजीपीपी) की जुलाई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2027 में देश में अनुमानित जनसंख्या 1.437 बिलियन होगी।

(ग): भारत सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू कर ही है जिसमें परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 9634.24 करोड़ रूपए की धनराशि आवंटित की गई।

(घ) से (च): एमएस स्वामीनाथन समिति ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एनपीपी 2000) तैयार करने के लिए कुछ प्रमुख सिफारिशें की हैं जो इस प्रकार हैं-

- वर्ष 2010 तक 2.1 की कुल प्रजनन दर प्राप्त करना
- गर्भनिरोधक उपयोग पर एक लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण सुनिश्चित करना
- वर्तमान वर्टिकली संरचित परिवार कल्याण कार्यक्रम को विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक योजना से प्रतिस्थापित करना
- जनसंख्या नियंत्रण उपायों में सभी एजेंसियों को शामिल करना।

उपर्युक्त सिफारिशों के अनुरूप, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम स्वैच्छिक और संसूचित विकल्प, लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण और प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर की उपलब्धि के साथ-साथ बाल उत्तरजीविता, मातृ स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक के मुद्दों के निराकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

तदनुसार, सरकार विभिन्न योजनाओं को लागू करती है, जो जनसंख्या के विकास पर लगाम लगाने में सहायक हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए 13 राज्यों में **मिशन परिवार विकास** लागू किया जा रहा है। ये राज्य सात उच्च फोकस वाले राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम) और छह पूर्वोत्तर राज्य (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम) हैं।
2. **विस्तारित गर्भनिरोधक विकल्प:** कंडोम, संयुक्त ओरल गर्भनिरोधक गोलियां, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां, इंट्रायूटेरिन गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी) और नसबंदी जैसे वर्तमान गर्भनिरोधक विकल्पों का नए गर्भनिरोधक अर्थात् इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक (अंतरा कार्यक्रम) और सेंट्रोमन (छाया) को शामिल करके विस्तार किया गया है ।

3 नसबंदी **कराने वालों के लिए मुआवजा योजना** जिसमें लाभार्थी को मजदूरी के नुकसान का मुआवजा दिया जाता है और नसबंदी कराने के लिए सेवा प्रदाता टीम को भी मुआवजा दिया जाता है।

4. **पोस्ट-पार्टम इंट्रायूटेरिन गर्भनिरोधक डिवाइस** (पीपीआईयूसीडी) सेवाएं प्रसव के बाद प्रदान की जाती हैं।
5. आशाकर्मियों द्वारा लाभार्थियों के घर पर **गर्भ निरोधकों के वितरण** की योजना शुरू की गई है।

6. **परिवार नियोजन रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली** (एफपी-एलएमआईएस): स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन विकल्पों का कारगर पुर्वानुमान, खरीद और वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है ।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत के लिए,

- कुल प्रजनन दर (टीएफआर) वर्ष **2019-20 (एनएफएचएस 5) में घटकर 2.0** हो गई है जो प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है।
- **36 राज्यों/संघ शासित राज्यों में से 31** ने प्रतिस्थापन स्तर पर प्रजनन क्षमता (एनएफएचएस 5) का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।
- **आधुनिक गर्भनिरोधक का उपयोग बढ़कर 56.5% (एनएफएचएस** 5) हो गया है।
- **परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता घटकर 9.4%** (एनएफएचएस 5) रह गई है।
- **क्रूड बर्थ रेट** (सीबीआर) वर्ष 2019 (एसआरएस) में घटकर **19.7** रह गई है।

*****